UPMZ010075132026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2987 सन 2026

साकिब पुत्र शाकर पेन्टर
निवासी गली नम्बर 3 शौकत कालौनी, लिसाढी गेट
जनपद मेरठ

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—82 सन 2025
धारा — 103 (1), 238 (क) 3/5 (61) (2) (क) बीएनएस
थाना—छपार
जनपद— मुजफ्फरनगर

19.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना छपार के अपराध संख्या—82 सन 2025 धारा — 103 (1), 238 (क) 3/5 (61) (2) (क) बीएनएस के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसकी ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2366 सन 2026 दिनांक 19.05.2026 को नन प्रजेन्ट में निरस्त किया जा चुका है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी विलंब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। वादी द्वारा कालिया महाराज, मौहम्मद अली, नईमुददीन फाजिल आदि के विरूद्व मामला दर्ज कराया गया था। उसके विरूद्व मृतक की हत्या करने का कोई मोटिव नहीं है और न ही उसे मृतक की हत्या करते हुए किसी के द्वारा देखा गया है न ही मृतक के साथ जाते देखा गया है। यह भी कहा गया है कि गवाह पी.डब्लू.—1 द्वारा न्यायालय के समक्ष घटना का समर्थन नहीं किया गया है। यह भी कहा

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.19 17:39:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है कि जिस मोबाईल की सीडीआर की बात कही जा रही है वह मोबाईल आवेदक/अभियुक्त का नहीं है।

अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है तथा वह दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की मांग की गयी। समर्थन में शपथ पत्र व खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रकरण वादी मुकदमा के भाई सलमान की हत्या का है तथा प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के मोबाईल की सीडीआर के अनुसार आवेदक/अभियुक्त की मौजूदगी घटनास्थल के आसपास की पायी गयी है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। यह भी कहा गया है कि सह अभियुक्तगण शाकिर, रूबीना की जमानत दिनांक 15.07.2025 को, साहिल की जमानत दिनांक 03.02.2025 को सेशन न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा नौशाद द्वारा घटना दिनांकित 04.04.2025 समय 00.00 बजे के संबंध में दिनांक 05.04.2025 को समय 23:08 बजे थाना छपार पर प्राथमिकी इस आशय की लिखायी गयी है कि उसके मौहल्ले के कालिया महराज आदि द्वारा लॉक डाउन के दौरान उसके छोटे भाई जैद की हत्या कर दी थी जिसका मुकदमा थाना लिसाढी गेट पर लिखाया गया था। उसकी रंजिश चल रही थी। दिनांक 04.04.2025 को सायं के समय कालिया महराज व उसका भाई इरफान तथा उसके साथी मौहम्मद अली, नईमुददीन, फाजिल ने एक राय होकर उसके भाई सलमान उम्र 27 वर्ष को पकडकर छपार के जंगल में ले जाकर हत्या कर दी है।

5. विवेचना के अनुक्रम में प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण कालिया महराज, इरफान, मौहम्मद अली, नईमुददीन व फाजिल की मामले में संलिप्तता नहीं पाये जाने पर उनके नाम प्रथक किये गये थे। बल्कि विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक की पत्नी सह अभियुक्ता सुमायला के अवैध संबंध सह अभियुक्त वसीम उर्फ खटमल से थे जिसका विरोध मृतक सलमान किया करता था तथा आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण द्वारा मिलकर योजना के तहत मृतक की हत्या कारित कर उसके शव को साक्ष्य विलोपित करने के आशय से फेका जाना कहा जाता है।

विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा श्रीमती सुमायला उर्फ सुमाईला का धारा 180 बीएनएसएस का बयान केस डायरी में अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि....योजना के मुताबिक दिनांक 4/5.4.2025 की रात को वसीम और शाकिर अपनी अलग मोटर साईकिल से तथा वह और उसका पति सलमान अपनी अलग मोटर साईकिल से मुजफफरनगर गये थे और बच्चो को वहीं छोड दिया था। वे लोग सुनसान रास्ते की तलाश करते हुए आ रहे थे। मुजफफरनगर रामपुर तिराहा से आगे रूडकी की तरफ रोड की बायीं तरफ एक गेट बना सुनसान रास्ता दिखाई दिया। वहां वसीम ने अपनी मोटर साईकिल को मोड दिया और कहा कि पेशाब करना है और पेशाब करने के बहाने से वहीं पास में वसीम ने अपनी मोटर साईकिल रोक ली। उस सुनसान रास्ते पर कुछ दूरी पर चलकर टयूवैल के पास सलमान भी पेशाब करने लगा तो वसीम ने शाकिब को इशारा किया और शाकिब ने सलमान को पीछे से लात मारकर गिरा दिया तभी वसीम ने अपनी पिस्टल निकाली और सलमान के सिर में तीन गोली मार दी तथा उसने भी वसीम से पिस्टल लेकर एक गोली सलमान के सीने में मारी थी और गोली मारने के बाद वे लोग मोटर साईकिलों से वहां से भाग गये थे। शाकिब अपनी मोटर साईकिल से अकेला था और वह तथा वसीम व उसका बच्चा सलमान वाली मोटर साईकिल से मेरठ की ओर भाग आये थे।

दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के मोबाईल की सीडीआर प्राप्त की गयी है जिसके अनुसार आवेदक/अभियुक्त की लोकेशन घटनास्थल के आसपास की होना कहा गया है। इसके अलावा विवेचक द्वारा मुजफरनगर से हरिद्वार जाने वाले रोड पर टोर्ची रेस्टोरेंट पर लगे सीसीटीवी फुटेज दिनांकित दिनांक 05.04.2025 समय 00.37.55 ए.एम. को केस डायरी का भाग बनाया गया है जिसमें दो मोटर साईकिलों को आगे पीछे जाते दिखाई देना और आगे वाली मोटर साईकिल पर वसीम उर्फ खटमल तथा साकिब को पीछे बैठा एवं पीछे वाली मोटर साईकिल पर सलमान अपनी पत्नी सुमायला को लेकर जाता दिखाई देना कहा गया है।

मृतक सलमान की पोस्टमार्टम आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. Firearm entry ound of size 1 x 0.5 cm, present over left side of forehead, 4 cm above from left ear, margins inverted, blackning present around the wound.

2. Firearm exit wound of size 1.5 x 1 cm, present over right side forehead, 5 cm above right eyebrow margins everted.

3. Firearm entry wound of size 1 x 0.5 cm, present over left side of skull, 1 cm above from left ear, margins inverted, blackening present around the wound, singeing of hair.

4. Firearm exit wound of size 1 x 1 cm, present over right side skull, 6 cm from right eyebrow, margins everted.

5. Firearm entry wound of size 1 x 0.5 cm present over back of skull, 5 cm away from left year, margins inverted, blackening present around the wound, singeing of hair.

6. Firearm exit wound of size 1 x 1 cm, present over right side forehead, 2 cm away from right eyebrow, margins everted.
7. Firearm entry wound of size 0.5 x 0.5 cm present over right side of chest, 7 cm above from right nipple margins inverted, blackening present around the wound.
8. Firearm exit wound of size 1 x 1 cm, present over back of neck, 6 cm away from medial border of right scapula, margins everted.

मृतक की मृत्यु का कारण Shock and haemorrhage as a result of ante mortem fire arm अंकित किया गया है।

विवेचनोपरांत आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित होकर मामले को सेशन सुपुर्द किया जा चुका है तथा वर्तमान में मामला साक्ष्य में चल रहा है। संबंधित सेशन वाद की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अभी मामले में मात्र पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा नौशाद तथा पी.डब्लू.–2 सरफराज के बयान अंकित किये गये हैं तथा अभी तथ्य के अन्य साक्षीगण के बयान अभिलिखित किये जाने शेष हैं।

अतः आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता, तत्सबंधी दंड एवं कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत के संबंध में बताये गये आधार उचित एवं पर्याप्त नहीं पाये जाते हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **साकिब पुत्र शाकर पेन्टर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 19.06.2026

sv